

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 175]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2020 — चैत्र 11, शक 1942

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 मार्च 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2020. — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान के अनुसार कर, शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में “एक मुश्त निपटान” व्यवस्था के अंतर्गत, इसमें विनिर्दिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अधधीन रहते हुए, निम्नानुसार छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

- (क) त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 31 मार्च, 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर की राशि में पूर्णतः छूट;
(ख) त्रैमासिक एवं मासिक कर देय वाहनों में दिनांक 31 मार्च, 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित शास्ति एवं ब्याज की राशि में पूर्णतः छूट।
- त्रैमासिक कर देय वाहनों में दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से दिनांक 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट। वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगी।
- (क) मासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से दिनांक 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट। वाहनों में लंबित कर एवं अधिरोपित ब्याज देय होगा;
(ख) मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में, यदि व्हील-बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में “एक मुश्त निपटान” की निर्धारित अवधि तक पूर्णतः छूट दिया जाएगा।
- “एक मुश्त निपटान” की अवधि, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक छः माह के लिए होगी। यदि आवश्यकता हो तो परिवहन विभाग के द्वारा “एक मुश्त निपटान” योजना को अतिरिक्त छः माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
- उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 2 एवं 3 में उल्लेखित शास्ति में छूट, केवल “एक मुश्त निपटान” योजना अवधि तक होगी। “एक मुश्त निपटान” योजना की समाप्ति के पश्चात्, शास्ति सहित पूर्ण राशि वसूल की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 28th March 2020

NOTIFICATION

No. F 5-10/VIII-Trans./2020. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, grants the rebate in amount recoverable under Tax, Penalty and Interest as per the provision of Section 15 of the said Adhiniyam under the arrangement of "One Time Settlement" subject to the restrictions and conditions specified herein, as follows, namely :-

1. (a) Full rebate on amount of pending tax imposed on vehicles till 31 March 2013 for the quarterly and monthly taxpaying vehicles.
(b) Full rebate on amount of pending penalty and interest imposed on vehicles till 31 March 2013 for the quarterly and monthly taxpaying vehicles.
2. Full rebate on amount of pending penalty imposed from the period of 01 April, 2013 to 31 December, 2018 for the quarterly taxpaying vehicles. Pending tax and interest imposed on vehicles shall be payable.
3. (a) Full rebate on amount of pending penalty imposed from the period of 01 April 2013 to 31 December 2018 for the monthly taxpaying vehicles. Pending tax and interest imposed on vehicles shall be payable;
(b) Pending tax and interest shall be payable, If tax, penalty and interest is imposed because of 'wheelbase' for the monthly taxpaying vehicles (passenger vehicles), but Full rebate upto prescribed period of "One Time Settlement" on penalty imposed.
4. "One Time Settlement" period is from the 01 April 2020 till the 30 September 2020, for six month. If it is necessary, the "One Time Settlement" may extend for further six month by the Transport Department.
5. Rebate on penalty stated in point 2 and 3 above is only for period of "One Time Settlement" scheme. After expiration of "One time Settlement" scheme period, full amount including penalty shall be recoverable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMALPREET SINGH, Secretary.